FORM NO. III

फर्द अहकाम

(निमय 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

....

किस्म मुकदमा...नं........................सन्..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/4/25	पत्रावली पेश। बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 30/04/2025 को पेश हो।	
30/04/2025	पत्रावली पेश। बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित भूमियॉ प्रार्थना पत्र चरण संख्या 1, 2 व 3 प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमियाँ है एवं खाता शामलाती होने से लगान जमा कराने में विवाद पैदा होता है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमियों को पैसा खर्च कर काबिज काश्त बनाया हुआ है। जिस पर बोरिंग विद्युत कनेक्शन लेने हेतु व पक्का निर्माण कराकर कृषि उपकरण व चारा रखने हेतु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को आये दिन प्रार्थीगण सहखातेदारी भूमि में से अपने हिस्से की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ताकि उनके हिस्से की हद तक की भूमियों को सुरक्षित रखा जा सके। इस बाबत विनिर्णय 2025 (1) **DNJ (Rev)** पेज नम्बर–180 व **RBJ** (9) 2002 पेज नम्बर–46 पेश किए है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया विवादित भूमियों में प्रार्थीगण सहखातेदार है जिनके द्वारा अपने हिस्से की भूमियों पर बंटवारा होने तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध उनके हिस्से की भूमियों पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने फसल काश्त में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु निषेधाज्ञा चाही गई है। कोई सहखातेदार अपने हिससे की हद की भूमि तक अन्य सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार रखता है। इस बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विनिर्णय प्रकरण पर चस्पा होते है। उपरोक्त तथ्यों से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष है। प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को विवादित भूमि खाता संख्या 90, 55, 5 वाके ग्राम स्वरूपगढ पटवार मण्डल रोशन्दा में निहित प्रार्थीगण के हिस्से की भूमियों की हद तक प्रार्थीगण के कब्जे में दखलंदाजी नहीं करने, काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु ताफैसला वाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली